उत्तर प्रदेश सरकार

प्रधानाचार्य कार्यालय
महाराजा सुहेल देव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं महर्षि बालार्क चिकित्सालय बहराइच– 271801

फोन नं0 : 05252-237621/237265
वेबसाइट: www.asmcbrh.edu.in ई–मेल:- principal.medical.college.brh@gmail.com

सर्वे सन्तु निरामयाः

पत्रांक संख्याः महा0सु0स्व0रा0चि0महा0 / विज्ञप्ति / 2024–25 / 2108 दिनांकः 16/12/2024

सेवायोजन विज्ञप्ति

महाराजा सुहेल देव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं महर्षि बालार्क चिकित्सालय, बहराइच के आचार्य, सह–आचार्य एवं सहायक–आचार्य के रिक्त पदों को **(Walk-in-Interview)** पद्धति से **संविदा (Contractual)** के आधार पर भरे जाने के हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। पदो की संख्या निम्नवत् है–

क्र0 सं0	विशिष्टता का नाम	आचार्य				सह–आचार्य				सहायक–आचार्य			
		सामान्य	अ0पि0 वर्ग	अनुसूचित जाति	ई0डब्लू0 एस0	सामान्य	अ0पि0 वर्ग	अनुसूचित जाति	ई0डब्लू0 एस0	सामान्य	अ0पि 0वर्ग	अनुसूचित जाति	ई0डब्लू 0एस0
01.	आर्थोपेडिक्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—
02.	आप्थैल्मोलॉजी	01	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—
03.	ऑब्स एण्ड गायनी	01	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—
04.	ब्लड बैंक	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—
05.	इमरजेन्सी मेडिसिन	—	—	01	—	—	01	—	—	01	—	01	—
06.	एनॉटमी	—	—	—	—	—	—	—	—	01	01	—	—
07.	एनेस्थिसिया	01	—	—	—	—	01	—	—	02	01	01	—
08.	कम्यूनिटी मेडिसिन	—	—	—	—	—	—	—	—	02#	01	01*	—
09.	जनरल मेडिसिन	—	—	—	—	01	02	—	—	01	01	—	—
10.	जनरल सर्जरी	01	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—
11.	टी0बी0 एण्ड चेस्ट	—	—	—	—	—	—	01	—	—	01	—	—
12.	स्किन एण्ड वी0डी0	—	—	—	—	01	—	—	—	01	—	—	—
13.	दन्त रोग	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—
14.	पीडियाट्रिक्स	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	01	—
15.	पैथोलॉजी	01	—	—	—	—	01	01	—	—	—	—	—
16.	फार्माकोलॉजी	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	01	—
17.	फिजियोलॉजी	—	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—
18.	पी0एम0आर0	—	01	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—
19.	फॉरेन्सिक मेडिसिन	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—
20.	बायोकेमेस्ट्री	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—
21.	माइक्रोबायोलॉजी	—	—	01	—	—	—	01	—	—	—	—	—
22.	रेडियोथेरैपी	01	—	—	—	—	—	01	—	—	—	01	—
23.	रेडियो डायग्नोसिस	—	01	—	—	01	—	—	—	01	—	—	—
24.	मानसिक रोग	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—
	कुल पद	06	03	02	—	06	07	06	01	11	07	06	—

कम्यूनिटी मेडिसिन (मेडिकल ऑफिसर हेल्थ कम लेक्चरर / सहायक आचार्य)
* कम्यूनिटी मेडिसिन (स्टेटीशियन कम सहायक आचार्य)

अर्हताएं एवं वेतनमानः–

1. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतहायें– **"As per N M C."**
2. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों को शासनादेश संख्या–109 / 2024 / 176 / 71–1–2024 / 71–1001 / 804 / 2020, दिनांक 18.07.2024 के अनुसार आचार्यों को नियत वेतन रू0 2,20,000 / – सह–आचार्यों को नियत वेतन रू0 1,60,000 / – एवं सहायक–आचार्यों का नियत वेतन रू0 1,20,000 / – प्रतिमाह है। वेतन के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। शासकीय पत्र संख्या 250 / 2018 / 4067 / 71–1–2017–जी–63 / 2008 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर, 2018

Scanned with CamScanner

प्रधानाचार्य कार्यालय
महाराजा सुहेल देव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं महर्षि बालार्क चिकित्सालय बहराइच– 271801

फोन नं0 : 05252-237621/237265

वेबसाइट: www.asmcbrh.edu.in ई–मेल:- principal.medical.college.brh@gmail.com

के द्वारा राजकीय चिकित्सा शैक्षिणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर नियुक्ति करने हेतु, निर्गत शर्तो के अधीन नियत वेतन रू0 2,20,000/– प्रतिमाह दिया जायेगा। सेवा शर्तो विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आवेदक को Medical College of India, Minimum, Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations,1999 द्वारा निर्धारित शैक्षिक आर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यार्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।

3. चिकित्सा शिक्षक को पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते है।
4. ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रौक्टिस नहीं करेगें।
5. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
6. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राईवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
7. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
8. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होगे।
9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवा नियमित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती हैं।
10. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात नियमित शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढाया जा सकेगा।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक कालावधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिये बोनस देय नहीं होगा।
13. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार देय नहीं होगा।
14. संविदा पर आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्ते ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
16. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
17. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
18. पदों की संख्या घटायी या बढायी जा सकती है।
19. यह विज्ञप्ति केवल 90 दिवसों तक के लिये ही मान्य है।
20. इच्छुक अभ्यर्थी **दिनांकः–24.12.2024** को एवं तदोपरान्त प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को पूर्वाह्न **10:00 बजे से 02:00 बजे** तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित हो सकते है, तथा अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का **TA/DA** देय नही होगा।
21. रिपोर्टिंग समय **12:00 बजे** के पश्चात आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किये जायेंगे तथा साक्षात्कार में भी भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
22. आवेदन शुल्क रू 2,000/– (दो हजार रूपये मात्र) का आवेदन शुल्क डिमान्ड ड्राफ्ट (डी0डी0) के रूप में **" Principal, ASMC and Associated Teaching Hospitals Bahraich"** के पक्ष में देय होगा।

प्रधानाचार्य
महाराजा सुहेल देव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
एवं महर्षि बालार्क चिकित्सालय, बहराइच।

पत्रांक संख्याः एवं दिनांक– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन लखनऊ को इस आशय हेतु प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अधिकारी, बहराइच।
4. समस्त सदस्य चयन समिति।
5. नोटिस बोर्ड, प्रधानाचार्य कार्यालय।

Scanned with CamScanner